न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 1 / 2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1. भंवरीदेवी पत्नी चैनाराम जाति सीरवी निवासी रामासनी बालां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. गौतमचन्द पुत्र मांगीलाल 2. शान्तिदेवी पत्नी मांगीलाल जातिगण सीरवी निवासी रामासनी बालां तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. सरपंच, ग्राम पंचायत खारीया नींव तहसील सोजत। 4. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75(1) डी राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, बसिलसिले स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1232, स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत खारीया नींव द्वारा दिनांक 21 / 12 / 2018

उपस्थितिः—

01. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता, श्री पुनीत दवे, श्री जय तंवर अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट सं0 01 व 02 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक – 8/10/24

अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बालां तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 173 पुराना 180 के खसरा नम्बर 1005 रकबा 2.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1012 रकबा 2.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1013 रकबा 2.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1023 रकबा 0.8200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1024 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1025 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1026 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1027 रकबा 0.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 1.6600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1031 रकबा 1.6900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1032 रकबा 1.6800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1033 रकबा 1.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 917 रकबा 2.3500 हैक्टर कुल खसरा 15 कुल रकबा 21.2300 हैक्टर की भूमि आई हुई स्थित हैं उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में दर्ज खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से लिखित बंटवाड़ा दिनांक 27.05.2002 को तहरीर व तकमील कर निष्पादित किया गया था, जिसका नामा0 सं0 452 स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात् रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के पिता / पति द्वारा उक्त आराजीयात में से ख.नं. 1025 / 2, 1027 / 3 का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 29.05.2002 को निष्पादित कर नामा0 सं0 460 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त भूमि के संबंध में श्रीमान अतिरिक्त डिवीजनल कमीश्नर महोदय द्वारा अपील बअनवान दाखु बनाम लच्छीदेवी वगैरा में अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 452 को निरस्त कर सहखातेदारान के मध्य विधिवत हुए बंटवाड़े को रिमाण्ड कर दिया गया। जिस कारण बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर पुनः पूर्व की राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी बहाल कर दी गई। रेस्पो सं0 1 व 2 के पिता / पति के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पो सं0 1 व 2 द्वारा वाले–वाले धोखाधाड़ी पूर्वक बिना अपीलाण्ट की जानकारी के उक्त कृषि भूमि को अपनी पुश्तैनी बताकर विरासत का नामा0 सं0· 1232 को स्वीकृत करवाकर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया। उक्त नामा0 सं0 1232 अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि व अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विपरित स्वीकृत होने से प्रारम्भतः शून्य अवैध व निष्प्रभावी हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय अपीलाण्ट द्वारा जैर अपीलाधीन नामा0 सं0 1232 दिनांक 21.12.2018 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.05.2002 में वर्णित भूमि के आधार पर अपीलाण्ट का नाम खातेदार दर्ज करने हेतु आदेश पारित किये जाने तथा देरीना अवधि को कण्डोन किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता मय अपीलाण्ट तथा अधिवक्ता मय रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 की ओर राजीनामा प्रस्तुत किया, सा0मि0 हो। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये राजीनामा स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 03 द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 1232 दिनांक 21/12/2018 अपास्त किया जाकर अपीलाण्ट के नाम बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.05.2002 के आधार पर अपीलाण्ट का नाम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जैर अपीलाधीन नामा0 सं0 1232 दिनांक 21.12.2018 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.05.2002 में वर्णित भूमि के आधार पर अपीलाण्ट का नाम खातेदार दर्ज करने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब अपील में अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट सं0 01 व 02 के मध्य राजीनामा हो जाने से माफिक ईश्तदुआ अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व अपील, राजीनामा, फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अपीलाण्ट द्वारा जरिये अपील, अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.05.2002 में वर्णित भूमि के आधार पर अपीलाण्ट का नाम खातेदार दर्ज करने तथा नामा0 संख्या 1232 दिनांक 21.12.2018 को अपास्त किये जो की ईश्तुआ की है। रेस्पोडेण्ट सं0 01 व 02 द्वारा भी राजीनामा पेश कर माफिक ईश्तदुआ अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है। जैर अपीलाधीन नामा0 सं0 1232 दिनांक 21.12.2018 को अपास्त किया जाकर अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांक 29.05.2002 में वर्णित भूमि के आधार पर अपीलाण्ट का नाम खातेदार दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील स्वीकार माफिक राजीनमा स्वीकार की जाती है। सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला तहसील सोजत के नामान्तरण संख्या 1232 दिनांक 21.12.2018 स्वीकृत द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत खारीया नींव को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सोजत को

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 29.05.2002 में वर्णित भूमि के आधार पर अपीलाण्ट का नाम खातेदार दर्ज कर नामान्तरकरण पारित करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेपित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 08/10/24 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली